

प्रपत्र 6 (नियम 8(1)) देखिए



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण

नवीकरण संख्या : ५०२/२००६.....

दिनांक : २०/१/२००६.

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 52 के अधीन (उस संस्था का नाम) जिसको श्री. सी. अमान सिंह, इन्डिया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या २००६ दिनांक २०/०१/२००६ दिया गया और उसे दिनांक २०/०१/२००६ से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है और यह दिनांक २५/०१/२०११ तक विधिमान्य होगा।

तीन सौ रुपये की धनराशि की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

सक्षम  
विकलांग  
सहायक सचिव (विशेष)  
कल्याण-दक्षतरा प्रमंशा।  
(सहर)  
मध्य प्रदेश